

असाधारण **EXTRAORDINARY** भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3891 No. 3891

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिस्चना नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल / पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018

मिं0 सं0 1-1/2002 (पी.एस.) छूट (भाग-III) खण्ड-II-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एफ) एवं (जी) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल /पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को सृजित करता है: 1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

- 1.1 इन विनियमों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया)
- 1.2 ये विनियम, ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित हैं तथा ऐसे प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय पर, जो उक्त अधिनियम, 1956 की धारा 3
- 1.1 ये विनियम, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू माने जाएंगे।
  - 2. निम्नलिखित उपबंध को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के खण्ड 5.4.2 में जोड़ा जाएगाः

''बशर्तें, उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए 70% तथा साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन को 30% का महत्व दिया जाएगा।"

> प्रो० रजनीश जैन, सचिव, [विज्ञापन-III /4/असा./312/18]

## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October 2018

## University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degrees) (2<sup>nd</sup> amendment) Regulations, 2018

F.No.1-1/2002(PS)Exempt(PtFl.III) Vol-II.—In exercise of the powers conferred under clauses (f) and (g) of subsection (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following Regulations to amend to UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil/Ph.D Degree) Short title, application and commencement: 1.1.

These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award

They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, 1.2 every affiliated College and every Institution Deemed to be a University under Section 3 of the said Act. 1.3

This shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The following proviso shall be added to the clause 5.4.2 of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of 2. "provided that for selection of candidates, a weightage of 70% to the entrance test and 30% to the performance in the

> PROF. RAJNISH JAIN, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./312/18]

MANOJ

Digitally signed by MANOJ KUMAR **KUMAR** VERMA Date: 2018.10.22 **VERMA** 22:52:58 +05'30'